न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 09/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/00138

अनवान

1. सरपंच ग्राम पंचायत प्रतापपुरा तहसील सांचौर।

प्रार्थी...........

1. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थी...............

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 131

तारीख रजु :– 07.08.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद, सुरेश पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 06.03.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बडसम, जो ग्राम पंचायत प्रतापपुरा के अधीन है, में हिन्दू समुदाय की घनी आबादी निवास करती है। यहां खसरा संख्या 298 में से 0.80 हैक्टर भूमि पर स्थित श्मशान घाट का उपयोग ग्रामवासी कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं (नजरी नक्शा 'अ' संलग्न)। ग्रामवासियों के आवेदन पर उक्त भूमि को राज्य सरकार के आदेशानुसार सार्वजनिक श्मशान के रूप में दर्ज कर नामांतरण संख्या 135 द्वारा नया खसरा संख्या 760/298 निर्मित किया गया। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश श्मशान भूमि की तरमीम गलत स्थान पर (नक्शा 'ब') कर दी गई, जबकि वास्तविक श्मशान भूमि नक्शा 'अ' में दर्शित ए, बी, सी, डी सीमा में स्थित है। अतः निवेदन है कि उक्त त्रुटि को सुधारते हुए श्मशान घाट की 0.80 हैक्टर भूमि की सही तरमीम नक्शा 'अ' अनुसार करने का आदेश तहसीलदार, सांचोर को प्रदान किया जाए।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय मे जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम बड़सम जो ग्राम पंचायत प्रतापपुरा का अधीनस्थ गांव है, तथा ग्राम बड़सम में हिन्दु धर्म से शामिल कई जाति के लोंगो की बस्ती आई हुई है तथा मृत्यु होने की दशा

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

में उनके दाह संस्कार करने हेतु एकमात्र स्थान (श्मशान घाट) ग्राम बड़सम के खसरा संख्या 298 में से रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि आधी हुई है जिसका उपयोग व उपभोग ग्राम की जनता पीढीयों से करती चली आ रही है जिसका नक्शा प्रदर्श 'अ' पेश किया गया है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में श्मशान दर्ज नहीं होने पर ग्रामवासियों द्वारा खसरा संख्या 298 में से रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 135 भरा जाकर भूमि को तरमीम की जाकर खसरा संख्या 760/298 नवसृजित किया गया, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त श्मशान घाट की भूमि थी वहां न करके नक्शा प्रदर्श 'ब' अनुसार कर दी गई जो एक मानवीय भूलवंश त्रुटि कर दी गई वास्तविक श्मशान घाट की भूमि नक्शा प्रदर्श 'ब' में दर्शित भूमि खेल मैदान व अन्य राजहित की भूमि है इस प्रकार श्मशान घाट की भूमि नक्शा प्रदर्श 'अ' में मार्क ABCD भूमि श्मशान घाट के नाम दर्ज कर तरमीम की जावें।

4. प्रकरण में राजपैरोकार की ओर से बहस में निवेदन किया कि ग्राम बड़सम के खसरा संख्या 760/298 रकबा 0.80 हैक्टेयर गैर मुमकिन श्मशान का मौका देखने पर तथा राजस्व रेकर्ड की जांच करने पर पाया गया कि मूल खसरा संख्या 298 में से रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि आवंटन होने पर नामान्तरकरण संख्या 125 दिनांक 29.01.2002 द्वारा सार्वजनिक श्मशान की भूमि का खसरा संख्या 760/298 रकबा 0.80 हैक्टेयर गैर मुमकिन श्मशान दर्ज किया गया, किन्तु मौके अनुसार तरमीम सही नहीं है। मार्क ABCD स्थान पर श्मशान हेतु टीनशेड बनाकर उपयोग में लिया जा रहा है तथा पटवारी गोलासन की रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा अनुसार मार्क EFGH पर विधुत विभाग का मार्क G.S.S. एवं मार्क GHIJ पर राजकीय माध्यमिक विधालय बड़सम खेल मैदान हेतु भूमि का उपयोग किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई आप्पत्ति नहीं है।

5. हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। हमने उभयपक्षकारान् की बहस सूनी। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं राज पैरोकार की ओर से प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट का अध्ययन एवं अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि ग्राम बड़सम में सार्वजनिक श्मशान घाट हेतु आवंटन जरिये नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 29.01.2002 को भूमि मूल खसरा संख्या 298 में से रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि आवंटन की गई है, किन्तु उक्त आवंटन सुदा भूमि तरमीम करते वक्त खेल मैदान व अन्य जनहित में उपयोग मे ली जा रही भूमि की जगह तरमीम करना पाया जाता है, जबकि पटवारी हल्का गोलासन की मौका रिपोर्ट के अनुसार शमशान घाट की भूमि नजरी नक्शा में मार्क मार्क ABCD की जगह उपयोग किया जाता है इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

अनवान सरपंच ग्राम पंचायत प्रतापपुरा बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 09 / 2024
निर्णय तारीखः— 06.03.2026

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा बड़सम के खसरा संख्या 298 में से रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खसरा संख्या 760 / 298 की बजाय हल्का पटवारी गोलासन द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में मार्क मार्क ABCD की भूमि रकबा 0.80 हैक्टेयर आराजी की तरमीम की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। पक्षकारान् अपना—अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी मुताबिक फेसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर